Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 18th October, 2017

No. 31-HLA of 2017/86/20751.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 31- HLA of 2017

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES & INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL. 2017.

A

Bill

further to amend the Haryana Management of Civic Amenities & Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 21st April, 2016.

Amendment of section 4 of Haryana Act 14 of 2016.

2. In section 4 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016,-

(i) in sub-section (1) for the words “one year”, the words “two years” shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the words “one year”, the words “two years” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 was enacted to identify those areas falling within municipal limits where construction has taken place on more than fifty percent plots prior to 31st March, 2015 to declare such areas as the Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas to provide Civic Amenities and Infrastructure in such Areas. In this Act under Section 4 "Enforcement to be kept in Abeyance" was for a period of one year which was upto 20.04.2017.

After enactment of the abovesaid Act under Section 4(1) of the Act the Department of Urban Local Bodies Haryana has taken following action:

1. Issued guidelines to seek proposals from municipalities *vide* letter dated 10.7.2015.
2. Circulated the procedure *vide* memo dated 16.09.2016, 18.11.2016 and 26.11.2016 to further regulate such colonies.
3. Issued development charges *vide* order dated 04.10.2016 which has been kept on hold *vide* memo dated 21.10.2016.
4. Initiated the process of the survey of such Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas falling within municipal limits in the State. Total 981 proposals of colonies from 80 municipalities have been received, out of which 529 colonies have been found eligible.

In the meanwhile the one year period mentioned in the Section 4 of the Act has been completed, hence, it is required to extend the period stated in the Section 4 of the Act for completion of the process. It is, therefore, proposed that in Section 4 (1) and (2) of the Act the word "one year" may be substituted by the word "two years" so that one more year may be made available to declare such eligible areas as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas and the basic infrastructure may be provided in these areas.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 18th October, 2017.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2017 का विधेयक संख्या–31 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2017

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना प्रबन्धन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

(2) यह 21 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2016 का हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 की धारा 4 में,–

(i) उप–धारा (1) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (2) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 पालिका सीमाओं में पड़ने वाले उन क्षेत्रों को पहचानने के लिये अधिनियमित किया गया था जहाँ 31.3.2015 से पूर्व 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण किया जा चुका है को नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिये इन क्षेत्रों को नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाना है। इस अधिनियम की धारा 4 'प्रवर्तन अस्थगित रखना' एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जो 20.04.2017 तक थी।

उक्त अधिनियम के अधिनियमित होने उपरान्त शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयीः

1. नगर पालिकाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पत्र दिनांक 10.7.2015 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए।
2. इस तरह की कॉलोनियों को और विनियमित करने के लिए ज्ञापन दिनांक 16.09.2016, 18.11.2016 और 26.11.2016 के माध्यम से प्रक्रिया को परिचालित किया गया।
3. आदेश दिनांक 04.10.2016 द्वारा विकास शुल्क जारी किए गए, जिन्हें ज्ञापन दिनांक 21.10.2016 के द्वारा रोके रखा गया है।
4. राज्य में पालिका सीमाओं के अन्तर्गत ऐसे नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रों के सर्वे की प्रक्रिया आरम्भ कर दी। कुल 981 कॉलोनियों के प्रस्ताव 80 नगरपालिकाओं से प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 529 प्रस्ताव योग्य पाये गये हैं।

इसी दौरान, इस अधिनियम की धारा 4 में वर्णित एक वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः कार्य की पूर्णता के लिये इस अधिनियम धारा 4 की वैधता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिये यह प्रस्तावित है कि इस अधिनियम के अनुभाग 4(1) तथा 4(2) में शब्दों एक साल को शब्दों दो साल से बदल दिया जाये ताकि ऐसे योग्य क्षेत्रों को नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के लिये एक अन्य साल उपलब्ध करवाया जा सके तथा इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान की जा सके।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 18 अक्तूबर, 2017.

आर. के. नांदल,
सचिव।

55696—H.V.S.—H.G.P., Chd.